बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

श्री नीतीश मिश्रा, मा0 स0वि0स0 / श्री कुमार शैलेन्द्र, मा0 स0वि0स0 / श्री विनय कुमार चौधरी, मा0 स0वि0स0 / श्री ललित नारायण मंडल, मा0 स0वि0स0 एवं देवेश कांत सिंह, मा0 स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचना ।

ध्यानाकर्षण का मूल पाठ

"बिहार सरकार से वित्तीय वर्ष 2014-15 में विश्व बैंक के सहयोग से बिहार इंटीग्रेटेड सोशल प्रोटेक्शन स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट की स्वीकृति हुई थी जिसमें इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सभी प्रखंडों एवं जिलों में एकाउंटस से संबंधित कार्यो का पारदर्शी तरीके से बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए कर्मियों को नियुक्त करना था । इस प्रोजेक्ट के तहत विकसित बिहार के लिए सभी प्रशासनिक तंत्रों में व्यापक सुधार लाने के लिए कार्य करने की बात थी, इसके तहत बुनियादी केन्द्र को मजबुत करने की दिशा में कार्य करना था तथा बेहतर वित्तीय विशेषज्ञों की सेवा लेने का विचार था।"

अत: उक्त प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के संबंध में हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

मंत्री ग्रामीण विकास विभाग का वक्तव्य

ग्रामीण विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा विश्व बैंक संपोषित योजना स्वीकृत की गयी, जिसका नाम **"बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना"** था। इस योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाईटी (BRDS) तथा समाज कल्याण विभाग अंतर्गत स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफयर (SSUPSW) द्वारा किया गया है। इस परियोजना का कुल बजट 538.58 करोड़ (विश्व बैंक एवं बिहार सरकार का अनुपात 70:30) था । जिसमें SSUPSW का बजट 429.11 करोड़ था तथा इनके द्वारा 354.56 करोड़ रूपये का व्यय किया गया । इसी प्रकार BRDS का बजट 109.47 करोड़ रूपये था तथा इसके द्वारा 73.40 करोड़ रूपये की राशि का व्यय किया गया है अर्थात् कुल व्यय 427.96 करोड़ रूपये है ।

इस परियोजना के कार्यान्वयन की समय सीमा 6 वर्ष यथा- वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक थी एवं इसे 6 महीने तक यथा- सितम्बर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था । ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (BISPS) अंतर्गत **वित्तीय प्रबंधन** को मजबूत किया गया ।

वित्तीय प्रबंधन के मजबूती हेतु इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 326 इंदिरा आवास लेखा सहायक, 27 जिला अंकेक्षण प्रबंधक, 31 जिला वित्त प्रबंधक, 03 जिला सहायक अंकेक्षण प्रबंधक, 03 जिला सहायक वित्त प्रबंधक, 45 लेखा सहायक एवं 45 अंकेक्षण सहायक नियोजित किये गये तथा इनके क्षमता वर्धन एवं योजना के सुचारू व त्वरित क्रियान्वयन के लिए राज्य, जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर डेस्कटॉप, यू.पी.एस. एवं इंटरनेट संबंधी अन्य आवश्यक सामग्रियाँ उपलब्ध करायी गयी । साथ ही कर्मियों के दक्षता में वृद्धि करने के लिए सलाहकार फर्म के रुप में **PFMTSC** को Hire किया गया ।

BISPS योजनान्तर्गत उपर्युक्त नियोजनों एवं संसाधनों की उपलब्धता के फलस्वरूप मनरेगा एवं आवास योजना जैसे जन कल्याणकारी योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन में काफी सुधार हुआ है । इससे भारत सरकार एवं अन्य स्तर पर भेजी जानेवाली Audited Report, Proposal एवं Utilization Certificate को ससमय भेजने में सफलता मिली है, जिस कारण राज्य को विभिन्न योजनाओं में निधि की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकी । इस क्रम में प्रखण्ड स्तर पर संचालित सभी योजनाओं का टैली आधारित लेखा संधारण प्रस्तावित है । जिसके लिए पाँच प्रखण्ड यथा- पटना सदर (पटना), बहादुरगंज (दरभंगा), अरवल सदर (अरवल), सूर्यगढ़ा (लखीसराय) एवं मुंगेर सदर (मुंगेर) में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कार्य शुरू किया गया है ।

समाज कल्याण विभाग अंतर्गत राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में बुनियादी केन्द्र का संचालन किया जा रहा है जिसमें 91 नवनिर्मित भवन एवं 10 किराये के भवन / अप्रयुक्त सरकारी भवन में किया जा रहा है । बुनियादी केन्द्र के संचालन हेतु जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई एवं तकनीकी कर्मी कार्यरत है तथा वित्तीय प्रबंधन हेतु BISPS प्रोजेक्ट अंतर्गत अकाउंटेंट (जिला स्तर) तथा एडमिन कम अकाउंट असिंसटेंट (अनुमंडल स्तर) की पदस्थापना (संविदा आधारित) की गयी है । सभी बुनियादी केन्द्रों को (पैरंट चाइल्ड मोड) बैंक खातों से जोड़ा गया है, जिससे किसी भी खाते में राशि अनावश्यक नहीं पड़ी रहे । उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु UC Management Software के माध्यम से अद्‌यतन उपयोगिता प्राप्त की जाती है । फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्निकल कंसलटेंट (FMTC) का चयन कर कार्यरत एकाउंटस कर्मियों का प्रशिक्षण कराया गया एवं वित्तीय सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया । व्यापक सुधारों की दिशा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को पूरी तरह (DBT) मासिक डायेक्ट बेनिफीट ट्रांसफर में कार्यान्वित कर राज्य स्तर से सीधे लाभुकों को जोड़ा गया है । इस विधि से हस्तांतरित राशि सीधे लाभुकों के खाते में जाती है तथा इस राशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी राज्य स्तर से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक तैयार की जा चुकी है ।

ज्ञापांक- 5/5050 पटना, दिनांक- 05/08/2021

ग्रा0वि0- 4वि0वि0स0 (ध्यानाकर्षण)- 06/2021

प्रतिलिपि :- श्री नीतीश मिश्रा, मा0 स0वि0स0 / श्री कुमार शैलेन्द्र, मा0 स0वि0स0 / श्री विनय कुमार चौधरी, मा0 स0वि0स0 / श्री ललित नारायण मंडल, मा0 स0वि0स0 एवं देवेश कांत सिंह, मा0 स0वि0स0, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

04/08/21

विशेष कार्य पदाधिकारी